न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा / 2008 / 493

1. काना
2. जगन्नाथ

पुत्रान् कालू जाति ब्राहम्ण निवासी रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– वादीगण –

बनाम

1. गोपाल पुत्र रूपा
2. मूल्या पुत्र रूपा
3. ग्यारसा पुत्र रूपा
4. रामू पुत्र श्रीया

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

5. सरकार जरिये तहसीलदार जी सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय – दिनांक 06.09.2019

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। आराजी साबिक खसरा नंबर 13 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 97 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 173 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 176 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 257 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 295 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 296 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 420 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 430 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 459 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा ग्राम रामपुरा उर्फ कवरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक भूमि है जिसका पूर्व में खातेदार रघुनाथ था जिसके तीन पुत्र कालू वादीगण का पिता रूपा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का पिता व श्रीया था

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

जिसका दत्तक पुत्र रामू प्रतिवादी संख्या 4 है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास अल्पायू में हो गया। वादग्रस्त भूमि के भू-प्रबंध सर्वेक्षण दिनांक 01.07.89 से 30.06.2009 तक में नवीन खसरा नंबर 16 रकबा 0.37 है0, 17/727 रकबा 0.63 है0, 123 रकबा 0.31 है0, 210 रकबा 0.23 है0, 214 रकबा 0.13 है0, 321 रकबा 0.26 है0, 374 रकबा 0.08 है0, 548 रकबा 0.10 है0, 549 रकबा 0.05 है0, 550 रकबा 0.29 है0, 614 रकबा 0.12 है0, 660 रकबा 0.19 है0, 661 रकबा 0.07 है0, 319/694 रकबा 0.05 है0, 320/695 रकबा 0.03 है0, 122/735 रकबा 0.03 है0, 121/706 रकबा 0.02 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 2.88 हैक्टेयर बनाये गये है। विवादित भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार वादीगण प्रतिवादीगा के साथ-साथ बराबर हिस्सा के कानूनन अधिकारी है किन्तु वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने पश्चात उपरोक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के दत्तक पिता श्रीया के नाम राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदारी अंकित कर दी गई जबकि भूमि वादग्रस्त में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम होना चाहिए था। वादीगण अपने हक व हिस्सा 1/3 के अनुसार ही भूमि पर काबिज चले आ रहे है एवं काश्त करते है तथा वर्तमान में भी वादीगण अपने 1/3 हिस्सा पर काबिज है एवं उपयोग व उपभोग कर रहे है, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से वादीगण का नाम नहीं होने के कारण अब प्रतिवादीगण वादीगण के हक व अधिकारो से इन्कार करने लगे है दिनांक 31.10.2003 को प्रतिवादीगण ने वादीगण से कहा कि वह सम्पूर्ण भूमि हमारी आधी-आधी हिस्सा की है इसमें तुम्हारा कोई भी हक व हिस्सा नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया किन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने तथा कहने लगे कि अबकी वर्षो होने पर हम सारी जमीन पर काश्त करेगें, तुम्हे काश्त नही करने देगें। इस कारण वादीगण को यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा माननीय न्यायालय द्वारा कराये तथा प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य न करने बाबत् जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित कराये। दिनांक 31.10.2003 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हक व अधिकारो तथा काश्त नही करने देने के कारण कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ तथा यह दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि दावा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वर्तमान खसरा नंबर 16, 123, 210, 214, 321, 374, 548, 549, 550, 614, 660, 661, 319/694, 320/695, 17/727, 122/735, 121/706 कुल किता 17 कुल रकबा 2.88 हैक्टेयर वाकै ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके 1/3 हक व हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त एवं उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करे एवं न ही काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा ही डाले।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी आधार वर्ष 2050 खाता सं. 65, मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत् 2033 से 2027 तक खाता नंबर 53, नकल प्रार्थना पत्र एसीएम सांगानेर को प्रेषित पत्र रिपोर्ट पटवारी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की तामील स्वयं पर होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र जगन्नाथ पुत्र कालू निवासी रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, श्रवणलाल पुत्र जगन्नाथ जाति बागडा ब्राहम्ण उम्र 50 वर्ष निवासी मानपुर नांगल्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर व जगदीश पुत्र श्री लालचन्द जाति बागडा ब्राहम्ण आयु 65 वर्ष निवासी रामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वादपत्र में वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है :-

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है वादग्रस्त आराजी जिसका [illegible]क खसरा नंबर नंबर 13 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 97 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 173 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 176 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 257 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 295 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 296 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 420 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 430 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 459 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक भूमि हे जिसका पूर्व में खातेदार रघुनाथ था जिसके तीन पुत्र कालू वादीगण का पिता, रूपा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का पिता व श्रीया था जिसका दत्तक पुत्र रामू प्रतिवादी संख्या 4 हैं। वादीगण के पिता का स्वर्गवास अल्पायु में ही हो गया था। वादग्रस्त भूमि के भू-प्रबंध सर्वेक्षण दिनांक 01.07.89 से 30.06.2009 तक में नवीन खसरा नंबर 16 रकबा 0.37 है0, 17/727 रकबा 0.63 है0, 123 रकबा 0.31 है0, 210 रकबा 0.23 है0, 214 रकबा 0.13 है0, 321 रकबा 0.26 है0, 374 रकबा 0.08 है0, 548 रकबा 0.10 है0, 549 रकबा 0.05 है0, 550 रकबा 0.29 है0, 614 रकबा 0.12 है0, 660 रकबा 0.19 है0, 661 रकबा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

0.07 है0, 319/694 रकबा 0.05 है0, 320/695 रकबा 0.03 है0, 122/735 रकबा 0.
03 है0, 121/706 रकबा 0.02 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 2.88 हैक्टेयर बनाये
गये। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्मिलित कब्जा काश्त व खातेदारी
की भूमि हैं, जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/3
हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा है इसी के अनुरूप वादीगण व
प्रतिवादीगण भूमि पर कब्जा काश्त में हैं एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।
वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक सम्पत्ति हैं जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में
वर्णित प्रावधान के अनुसार वादीगण प्रतिवादीगण के साथ साथ बराबर हिस्सा के
कानूनन अधिकारी है। किन्तु वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात
उपरोक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रूपा व प्रतिवादी संख्या 4
के दत्तक पिता श्रीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदारी अंकित कर दी गई
जबकि भूमि वादग्रस्त में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का
1/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम होना चाहिए था।
वादीगण अपने हक व हिस्सा 1/3 के अनुसार ही भूमि पर काबिज चले आ रहे है एवं
काश्त करते हे तथा वर्तमान में भी वादीगण अपने 1/3 हिस्सा पर काबिज है एवं
उपयोग उपभोग कर रहे है। वाद में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपना इकबालिया जवाब
दावा दिनांक 31.05.2004 को प्रस्तुत किया एवं अपने जवाब दावा में वादी द्वारा प्रस्तुत
दावा को स्वीकार करते हुये वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में 1/3 दर्ज किये
जाने में अपनी सहमति प्रदान की। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादीगण
को वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर
राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

बहस को अवलोकन किया जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया।
वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थना पत्र जो प्रार्थीगण जगन्नाथ, काना, रामू,
गोपाल, मूल्या, ग्यारसा, द्वारा राजस्व कैम्प बीलवा में श्रीमान् सहायक जिलाधीश
सांगानेर जयपुर को पेश किया था उसमें प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को उभयपक्ष
की पैतृक आराजीयात बताते हुये आपसी सहमति के आधार पर उक्त राजस्व खाते में
जगन्नाथ काना पिता कालू का हिस्सा 1/3 बराबर हिस्सा इन्द्राज करने का निवेदन
किया था। सहायक जिलाधीश द्वारा प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी
गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया की जमाबंदी खाता संख्या 65 के
अनुसार खातेदारी रामू पुत्र कालू जाति बा0 नि0 मानपुर नांगलिया हि0 1/2 गोपाल,
मूल्या, ग्यारसा पि0 रूपा हि0 1/2 कोम ब्राहम्ण देह के नाम है। आवेदक अनुसार
रूगनाथ के तीन पुत्र थे उसके मरने पर खातेदारी श्रीया व रूपा के नाम दर्ज हो गई।
कालू का नाम खातेदारी में शेष रह गया है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र व पटवारी रिपोर्ट के
अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 65 की आराजी रूगनाथ के नाम थी और

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की पैतृक आराजीयात है। रूगनाथ की मृत्यु उपरांत उसके नाम अंकित खातेदारी उसके तीनो पुत्रो कालू, रूपा व श्रीया के नाम 1/3–1/3 अंकित होनी चाहिए थी किन्तु सहवन से उपरोक्त आराजीयात श्रीया व रूपा पिता रघूनाथ के नाम अंकित हो गई। व उसके पश्चात उसके वारिसो श्रीया के दत्तक पुत्र रामू हिस्सा 1/2 व रूपा के पुत्रो गोपाल, मूल्या, ग्यारसा हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज हो गई। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादीगण को हिस्सा दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 16 रकबा 0.37 है0, 17/727 रकबा 0.63 है0, 123 रकबा 0.31 है0, 210 रकबा 0.23 है0, 214 रकबा 0.13 है0, 321 रकबा 0.26 है0, 374 रकबा 0.08 है0, 548 रकबा 0.10 है0, 549 रकबा 0.05 है0, 550 रकबा 0.29 है0, 614 रकबा 0.12 है0, 660 रकबा 0.19 है0, 661 रकबा 0.07 है0, 319/694 रकबा 0.05 है0, 320/695 रकबा 0.03 है0, 122/735 रकबा 0.03 है0, 121/706 रकबा 0.02 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 2.88 वाकै ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा पटवार हल्का बीलवा भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में उपरोक्तानुसार हिस्सा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 06.09.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

नोट! न्यायालय निर्णय दिनांक 17/9/2019 के द्वारा निर्णय में वर्णित खसरा नंबरान् कुल किता 17 रकबा 2.88 हेक्टेयर में रकबा 2.88 के स्थान पर कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर समझा जावें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय
17/09/19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.11.21 15:00:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: